कोई विधिक आधार नहीं है। वस्तुतः प्रकरण में मौलिक न्याय को देखा जाये तो पक्षकारान ग्राम पंचायत के विरूद्ध किसी प्रकार की राहत नहीं चाही गयी है, बल्कि पक्षकारान का आपसी विवाद है। प्रथमता तो इस आशय का जवाबदावे में कोई उजर नहीं लिया गया है एवं इस बारे में कोई तनकी भी नहीं बनी है।

प्रकरण में विवादित भूमि जहां तक वरदा जी की स्वअर्जित होने का प्रश्न है, अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष जिन साक्ष्यों का विवेचन किया गया है, उससे विवादित भूमि मौरूसी होना साबित है, भूमि के स्वअर्जित होने की किसी प्रकार की साक्ष्य पत्रावली के रेकार्ड पर उपलब्ध नहीं है। प्रकरण में यह भी सुस्पष्ट है कि अपीलान्ट जब उक्त भूमि में वसीयत के आधार पर अपना अधिकार बताता है, तो उक्त भूमियां मौरूसी नहीं भी हो तथा वरदा जी की स्वअर्जित हों तो भी वादी को कम से कम उक्त वसीयत तो अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत कर उसे साबित कराना चाहिए था, जो उसके द्वारा नहीं करवाया गया है। अतएवं भूमियां वरदा जी की मौरूसी होने की साक्ष्य तथा वरदा जी की मौरूसी नहीं हों तो भी प्राकृतिक विरासती उत्तराधिकार को निषेध करते हुए वसीयती उत्तराधिकार को माने जाने कोई आधार नहीं है तथा उक्त वसीयत अधिनस्थ न्यायालय में पेश भी नहीं हुई है। वरदा जी की वसीयत उपलब्ध नहीं होने के कारण उक्त सम्पत्ति में वरदा जी के समस्त प्राकृतिक उत्तराधिकारियों को हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम अनुसार समान अधिकार मिलना चाहिए, तदनुसार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय तथ्यों एवं विधि के अनुकम में पारित निर्णय है, जिसमें किसी भी प्रकार की तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटि हम नहीं पाते हैं।

अतएवं अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 25–08–2011 यथावत रखी जाती है। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 04–10–2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

ग्राम नीमडी की आराजी नंबर 411 मी. में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 6 प्रत्येक को 1/7 हिस्से का खातेदार घोषित किया एवं विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री जारी की।

अधिनस्थ न्यायालय के उपरोक्त निर्णय दिनांक 28-08-2011 से रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 29-10-2011 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 10 की ओर से औपचारिक पक्षकार राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुए। शेष रेस्पोन्डेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर वकील अपील व राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराया तथा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को त्रुटिपूर्ण बताते हुए अपास्त करने की प्रार्थना की। वहीं राजकीय अभिभाषक ने प्रकरण में राजकीय हित निहित नहीं होने से प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर करने की प्रार्थना की।

अपीलान्ट ने प्रमुख रूप से यह उजर लिया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्ध है। अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में पूर्ण जांच नहीं की है तथा ग्राम पंचायत को धारा 209 राजस्थान पंचायत राज अधिनियम के तहत नोटिस जारी नहीं किये गये हैं एवं धारा 80 (2) जा.दी. के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए ग्राम पंचायत के विरूद्ध वाद पत्र स्वीकार करने में कानूनी भूल की है। मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों से विवादित भूमि वरदा जी की स्वअर्जित सम्पत्ति होना साबित है, परन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने उसे अनदेखा कर दिया है। अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटि पूर्ण है।

→ हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व रेकार्ड का अवलोकन किया गया तथा अपीलान्ट द्वारा लिये गये उजरात एवं बहस पर मनन किया गया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय में ग्राम पंचायत प्रतिवादी संख्या 12 व 13 को नोटिस दिये जाने बाबत् अपीलान्ट द्वारा अपने जवाबदावे में किसी प्रकार का कथन नहीं किया गया है, न ही इस आधार पर कोई तनकी गठित की गयी है। अपील स्तर पर इस प्रकार के नये उजर उठाये जाने का

उप-राजस्व अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

तथा प्रतिवादी संख्या 2 ने वरदा जी के जीवनकाल में कभी भी उक्त वसीयत का जिक्र नहीं किया न ही कोई दखलन्दाजी की, किन्तु अब वरदा की मृत्यु के पश्चात् फर्जी वसीयत के आधार पर भूमि हड़पना चाहते हैं। वादी द्वारा उपरोक्तानुसार खातेदारी घोषणा, विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा की डिकी चाही गयी।

प्रतिवादी संख्या 1 से 3 द्वारा खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत कर भूमि को वरदा जी की स्वअर्जित होना एवं वादी का किसी प्रकार का हक, अधिकार व कब्जा नहीं होना बताया। प्रतिवादी ने यह भी कथन किया कि वादी 35 वर्षो से बाहर रहता है एवं अपने पिता के इलाज में किसी प्रकार का कोई खर्चा नहीं किया है न ही सेवा चाकरी की है। वरदा जी ने अपने पूर्ण होशो–हवास में दिनांक 26–09–1996 को उप पंजीयक गढ़बोर के यहां वसीयत का पंजीयन करवाया है। भूमियां का नामान्तरकरण राजस्व कर्मचारियों द्वारा मिली भगत से नहीं खोला गया है। अतएवं वाद खारिज किया जावे।

22

अधिनस्थ न्यायालय ने प्लीडिंग्स के आधार पर प्रकरण में निम्नानुसार 5 तनकियात कायम की :–

1. आया स्वर्गीय वरदा के नाम पर दर्ज परिशिष्ट "अ" में वर्णित आराजियात की भूमि पर विरासत के अनुसार परिशिष्ट "अ" में वर्णित आराजियात में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी है ? ....वादी
2. आया वरदा जी द्वारा की गयी वसीयत फर्जी होने से वादी के विरूद्ध शून्य होकर प्रभावहीन ? ....वादी
3. आया वादी संलग्न परिशिष्ट "अ" में दर्शायी गयी कृषि भूमि की अपने हिस्से अनुसार घोषणा कराने का अधिकारी ? ....वादी
4. आया स्वर्गीय वरदा जी द्वारा हीरालाल के पक्ष में की गयी वसीयत के आधार पर कोई कानून अधिकार प्राप्त होता ? ....प्रतिवादी
5. अनुतोष ?

प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्षों की साक्ष्य सबूत प्राप्त करने के बाद ग्राम साथिया की परिशिष्ट "अ" की भूमियों में वरदा के 1/4 हिस्से में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 6 प्रत्येक को 1/28 हिस्से का तथा

प्र–प्रशासनिक अधिकारी
मुख्य कार्यालय राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध
निर्णय व डिक्री उपखण्ड अधिकारी
कुम्भलगढ़, दिनांक 25–08–2011
प्रकरण संख्या 135/2006 वादपत्र

——/——

उपस्थित(वक्त बहस) 1. श्री ए. एच. चूडीगर अभिभाषक अपीलान्टगण
2. राजकीय अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट संख्या 10

(21)

——:——

निर्णय दिनांक 04–10–2017

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में वादी/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा अपीलान्टगण व अन्य रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध एक वाद बाबत् घोषणा, विभाजन, स्थाई निषेधाज्ञा एवं इन्दाज दुरस्ती का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि पक्षकारान के मूल पुरूष कालू जी होकर उसका पुत्र वरदा जी थे, जिसके वारिस वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 6 हैं। ग्राम नीमडी में आराजी नंबर 411 मीन रकबा 1 बीघा भूमि स्थिति है, जो राजस्व रेकार्ड में वरदाजी के नाम दर्ज थी। इसी प्रकार गांव साथिया में वरदा जी की कृषि भूमियां स्थित हैं, जिसे संलग्न परिशिष्ट "अ" में दर्शाया गया है। वरदा जी की मृत्यु के बाद बड़े पुत्र वादी ने समस्त रीति रिवाज अदा किये व किया कर्म किया तथा पगड़ी भी वादी को बांधी गयी तथा वरदा की मृत्यु से पूर्व दिमागी हालत ठीक नहीं होने से उसके इलाज में सारा खर्च वादी द्वारा किया गया। इस प्रकार दिमागी हालत खराब होने से कोई वसीयतनामा कैसे लिख सकता है, अगर वसीयत लिखवा भी ली गयी है तो वह वादी के विरूद्ध बेअसर होकर शून्य है। प्रतिवादी संख्या 2 ने अपने नाम पर वर्ष 1996 में एक वसीयतनामा रजिस्टर्ड करवाने हेतु प्रतिवादी संख्या 12 व 13 से यहां कार्यवाही की तब वादी को उक्त वसीयतनामे की जानकारी हुई। वाद पत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित भूमि में वरदा के सभी वारिसों का 1/7 हिस्सा है तथा वाद पत्र के साथ संलग्न परिशिष्ट "अ" की भूमियों में वरदा जी का 1/4 हिस्सा होने से उसके सभी वारिसों का 1/28 हिस्सा है एवं इसी अनुसार पक्षकारान अपने–अपने हिस्से की भूमि पर काबिज हैं। प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा जो वसीयत पेश की गयी है वह फर्जी है

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– एल. एन. मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 207/2011 (राजसमन्द डिक्री)

1. श्रीमती गुलाबी बाई पत्नी वरदा जी तेली, निवासी निमड़ी, तहसील कुम्भलगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)
2. हीरालाल पिता वरदा जी तेली, निवासी निमड़ी, तहसील कुम्भलगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)

..... अपीलान्टगण

(90)

बनाम

1. भंवरलाल पिता वरदा जी तेली, निवासी निमड़ी, तहसील कुम्भलगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)
2. श्रीमती रामी बाई पुत्री वरदा जी तेली, पत्नी भोलीराम जी तेली, निवासी टाडावाडा सौलंकियान, तहसील कुम्भलगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)
3. देवीलाल पिता वरदा जी तेली, निवासी निमड़ी, तहसील कुम्भलगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)
4. श्रीमती मोहन बाई पुत्री वरदा जी तेली, पत्नी भंवरलाल जी तेली, निवासी लकडवास, प्रतापनगर, जिला उदयपुर (राज.)
5. मांगीलाल पिता वरदा जी तेली, निवासी निमड़ी, तहसील कुम्भलगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)
6. नाथूलाल पिता शंकरलाल जी तेली, निवासी साथिया, तहसील कुम्भलगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)
7. भैरूलाल पिता शंकरलाल जी तेली, निवासी साथिया, तहसील कुम्भलगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)
8. श्रीमती जतना बाई पत्नी शंकरलाल जी तेली, निवासी साथिया, तहसील कुम्भलगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)
9. शंकरलाल पिता हजारी जी तेली, निवासी साथिया, तहसील कुम्भलगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)
10. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, कुम्भलगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)
11. सरपंच ग्राम पंचायत, जणावद, तहसील कुम्भलगढ़, जिला राजसमन्द।
12. सरपंच ग्राम पंचायत, साथिया, तहसील कुम्भलगढ़, जिला राजसमन्द।

.....रेस्पोन्डेन्टगण

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर (राज.)